न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /07/2025

रामप्रसाद पुत्र श्री नथोली जाति कुशवाह निवासी अघापुर तहसील व जिला भरतपुर .....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसील नदवई ..... रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश नायव तहसीलदार (द्वितीय) भरतपुर दिनांक 03.03.2025 मु0 नं0 19/2024 धारा 91 एल.आर.एक्ट।

उपस्थित :–
1–श्री चन्द्रमोहन गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 19.09.2025**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश नायव तहसीलदार (द्वितीय) भरतपुर दिनांक 03.03.2025 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नायव तहसीलदार (द्वितीय) भरतपुर ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 601/0.03, 602/0.07, व 603/0.08 कुल रकवा 0.18 एअर वाके ग्राम अघापुर तहसील भरतपुर किस्म सैरावी में से 0.18 ऐअर पर अतिक्रमी अपीलान्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण से बेदखल किये जाने एंव लगान के कुल 1.62 रू. का 50 गुना पेनल्टी राशि 81/– रुपये कायम किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। नायव तहसीलदार (द्वितीय) भरतपुर से प्राप्त तहत पत्रावली मिसिल नत्थीबद्ध की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक का कहना है कि उसकी अपील में अंकित तथ्यों को ही बहस के लिये पढ़ा जावे।

प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया अपील में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया है कि नायव तहसीलदार (द्वितीय) भरतपुर का अपीलाधीन आदेश विस्तृत आदेश नहीं है। अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 601/0.03, 602/0.07, व 603/0.08 कुल रकवा 0.18 एअर वाके ग्राम अघापुर तहसील भरतपुर किस्म सैरावी में से 0.18 ऐअर पर गलत रुप से अतिक्रमी माना है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 601, 602, 603 वाके ग्राम अघापुर तहसील भरतपुर में दिनांक 18.06.2018 से पूर्व अपीलान्ट काबिज रकबे पर

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

काश्तकार दर्ज रिकार्ड था और मौके पर काविज चला आ रहा है। वह कभी अतिक्रमी नहीं रहा है व फसल काश्त करता रहा है। खसरा नं0 602 व 603 में अपीलान्ट के हिस्से के अलावा रूपसिंह पुत्र सुक्खी ने मकान बना रखे है और वही अतिक्रमी हैं। अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट से रंजिश रखने वाले व्यक्तियों ने न्यायालय उपखण्डाधिकारी भरतपुर में एक दावा अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार ना बनाकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट की खातेदारी कलमजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवा दिया। धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत अपीलान्ट की खातेदारी कलमजन करने का कोई अधिकार नहीं था। जिसके विरूद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहॉ अपील लम्बित है। योग्य अभिभाषक का कथन है कि तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को हल्का पटवारी ने प्रति परीक्षण करने का कोई मौका नहीं दिया हैं । योग्य अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील म्याद बाहर पेश करने के सम्बन्ध में कथन किया है कि तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 03.03.2025 की दिनांक 20.03.2025 को नकल प्राप्त हुई। प्रार्थी बुजुर्ग व्यक्ति है अपील पेश करने में जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। अपील पेश करने में हुई देरीना को क्षमा किये जाने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

पैरोकार सरकार ने अपने कथनों में जाहिर किया कि पटवारी हल्का अघापुर की रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 601/0.03, 602/0.07, व 603/0.08 कुल रकवा 0.18 एअर वाके ग्राम अघापुर तहसील भरतपुर किस्म सैरावी में से 0.18 ऐअर पर श्री रामप्रसाद पुत्र नथोली जाति कुशवाह निवासी अघापुर तहसील व जिला भरतपुर द्वारा राजकीय भूमि पर चरी बोकर एवं झोंपडी डालकर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप आदेश पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया। प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का यह कहना कि उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 20.03.2025 को नकल प्राप्त की। अपीलार्थी बुजुर्ग व्यक्ति है। अपील पेश करने में जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। म्याद अधिनियम के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निम्न नज़ीर पर विचार किया गया।

जिला कलक्टर
भरतपुर

.....3

आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

तथा आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों को मध्यनजर रखते हुये अपील को अन्दर म्याद मानते हुये। अपील की मैरिट पर विचार किया गया। तहत पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अध्ययन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी एवं खसरा परिवर्तनशील संवत 2081 वर्ष 2024–25 से निर्विवाद है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 601/0.03, 602/0.07, व 603/0.08 रकवा 0.18 एअर वाके ग्राम अघापुर तहसील भरतपुर राजकीय भूमि पर श्री रामप्रसाद पुत्र नथोली जाति कुशवाह निवासी अघापुर तहसील व जिला भरतपुर द्वारा चरी बोकर एवं झोंपडी डालकर अतिक्रमण कर रखा है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अतिकमी के विरुद्व नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस नायब तहसीलदार (द्वितीय) भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर